


**भाग-IV**  
**(नोडल अधिकारी या प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)**

17	<p>टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रति कुछ टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाँच और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय।</p>	17	<p>आवेदक को वर्ष 1978 से 1998 तक यह खदान वनक्षेत्र में स्वीकृत थी। आवेदक ने इस अवधि में खनिज का उत्खनन भी किया है। अतः वन मंडलाधिकारी उत्तर बालाघाट की अनुशंसा से सहमत होते हुये पूर्व से उत्खनित वनक्षेत्र आवेदक संस्थान को व्यपवर्तन करने की अनुशंसा की जाती है।</p> <p align="center">   <b>(सुनील अग्रवाल)</b>          भा.व.से.          अपर-प्रधान-मुख्य वन संरक्षक (सुप्रबंध)          मध्यप्रदेश, भोपाल       </p>
----	--	----	---

तिथि: 25/07/2019

स्थान: भोपाल